

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -190

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02056

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "श्रीजी वी-3 बालाजी ग्रीन्स", प्रमोटर-श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि. द्वारा- श्री अनन्त सिंह, पता-513, शुभम कॉर्पोरेट, तेलीबांधा, रायपुर प्रोजेक्ट-"श्रीजी वी-3 बालाजी ग्रीन्स" अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/01/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "श्रीजी वी-3 बालाजी ग्रीन्स" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA290818000736 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 29.08.2018 से पंजीकृत किया गया भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2)(1)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-06/रेरा/2018/158, दिनांक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 25.08.2023 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 01.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया है कि नये एनेक्सर-17, 18 एवं 19 प्रस्तुत किया गया है तथा अपडेट एनेक्सर के आधार पर withdrawal limit cross नहीं हो रहा है, अपडेटेड एनेक्सर-5 प्रस्तुत किया गया, जिससे इंजीनियर सर्टिफिकेट की वैल्यू को पार्ट-ए एवं पार्ट-बी में दर्शाया गया है, उसे सुधार कर अपडेटेड एनेक्सर-5 प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में परिपत्र क्रमांक-6 क आधार पर बैंक खाता में सुधार कर लिया गया है। अपडेट बैंक खाता प्रस्तुत किया गया है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -190

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02056

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "श्रीजी वी-3 बालाजी ग्रीन्स", प्रमोटर-श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि. द्वारा- श्री अनन्त सिंह, पता-513, शुभम कॉर्पोरेट, तेलीबांधा, रायपुर
प्रोजेक्ट-"श्रीजी व्ही-3 बालाजी ग्रीन्स" अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 01.09.2023 को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया, किन्तु रेरा प्रावधानों के अनुसार परिपालन नहीं किया गया। परियोजना को विकसित किया जा रहा है, किन्तु अधिनियम के प्रावधानों की गंभीर अवहेलना की गई। अनावेदक द्वारा दिनांक 09.01.2024 को त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को सुधार कर प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर दिया गया है तथा सी.ए. के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा सभी त्रुटियों को सुधार कर दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	